मैसर्स- चौहान मिनरल्स् बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।

(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 6672/1999)

14.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री एम.एल. गोयल, अति.राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

विद्वान अति. राजकीय अधिवक्ता श्री गोयल का कथन है कि यह रिट याचिका प्रभावशून्य हो चुकी है क्योंकि दिनांक- 29.01.2003 को डीड पंजीबद्ध हो चुकी है। विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए यह रिट याचिका प्रभावशून्य जो जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)